राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 728वी बैठक दिनांक 27.05.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9004/2022	8(b)	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	8851/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	9039/2022	8(a)	कमर्शियल वेयरहाउस	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
4.	9161/2022	7(da)	कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट	For ToR	ToR स्वीकृत
5.	9160/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	8913/2022	1(a)	पत्थर एवं मुरूम खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा					
7.	7341/2020	1(a)	ग्रेनाईट खदान	For Relist	Relisted
8.	8689/2021	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
9.	7675/2020	1(a)	मेगनीज ओर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति संशोधन	संशोधन स्वीकृत
10.	9158/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
11.	9163/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
12.	9164/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
13.	9165/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
14.	2353/2015	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत
15.	9175/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्वीकृत

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

16.	9176/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
17.	9181/2022	1(a)	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
18.	9128/202	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण
19.	**Compliance of NGT order dated 22.02.2022 Para-O, Point No. 05 (8 cases) related to sand mining cases**				

1. **Case No 9004/2022:** Prior Environment Clearance for Township Project "Maharajpura Residential Scheme Phase-4 (Shatabdipuram Phase-4)" in Village - Mau and Vikrampura, Tehsil - Grid, Dist. Gwalior, (MP)Total Project Influenced Area-19,25,380.68 sq.m. Area for Plotted Development- 6,70,131.40 sq.m., Total no. of Residential Units – 5057, Total Shops – 54 by Gwalior Development Authority, Executive Engineer, Vikash Bhavan, Gwalior, MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

यह टाउनशिप प्रोजेक्ट "महाराजपुरा" के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का आवासीय योजना चरण –4 (शताब्दीपुरम चरण) –मऊ एवं विक्रमपुरा, तहसील – ग्रिड, जिला ग्वालियर, (मध्य प्रदेश) में विकसित किये जाने से संबंधित है ।

प्रकरण में परीक्षण एवं अनुशंसित कार्यवाही का विवरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 572 वीं दिनांक 19 मई 2022 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 2 से 16 पर अंकित है एवं प्रकरण में "पूर्व पर्यावरण स्वीकृति" अनुशंसित की गयी है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया । प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

I. प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया गया की यह चरण 4 का प्रकरण है। पूर्व में इस योजना की अन्य चरणों की पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्राधिकरण द्वारा दी गई है, प्राधिकरण के अभिलेखों में इस प्रकार की कोई भी मंजूरी नहीं पाई गई। ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित किया गया कि उपरोक्त चरण 01 से 03 तक ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के पूर्व के हैं।

II. कार्य स्थल पर मौजूद खनिज गड्ढों को लेकर चर्चा की गई। इनके कारण कोई दुर्घटना घटित न हो इस पर विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के अनुशंसानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा गड्ढों के चारों ओर दो स्तरीय स्टील की बैरिकैड लगाई जावेगी उस के चारों ओर वृक्षारोपण कर ग्रीन बेल्ट बना कर सुरक्षित किया जावेगा। इस पर प्राधिकरण द्वारा भी परियोजना प्रस्तावक को योजना के संचालन के दौरान समुचित सुरक्षा के उपायों एवं प्रावधानों का पालन किए जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. यह प्रस्तावित स्थल एयर पोर्ट से 2 किलोमीटर दूर पर स्थापित है इस कारण इस क्षेत्र में कोई उच्च स्तरीय भवन का निर्माण एवं बहुत बड़ा कोई स्टील स्ट्रक्चर का निर्माण न किया जावे ताकि एयर पोर्ट की रैडार की कार्य प्रणाली में व्यवधान पैदा हो।

IV. सिविल निर्माण में रेड ब्रिक्स का उपयोग न किया जावे, साथ ही सीमेंट के साथ क्युरिंग कंपाउंड का प्रयोग कर पानी की बचत की जावे।

प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों में उपरोक्त बिंदु 2, 3 एवं 4 को शर्तों में शामिल करते हुए परिशिष्ट–5 सहित परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण मंजूरी प्रदान की जाती है।

2. **प्रकरण कमांक 8851/2021 – परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू कच्छवाहा आत्मज श्री मोतीलाल कच्छवाहा, निवासी–138, शंकरपुर, मक्सी रोड़, नियर एमपीएबी, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21463 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 307, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम गुनईखालसा, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने के दौरान निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1429 दिनांक 17.11.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैव विविधता जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र 250 मी. से अधिक की दूरी पर स्थित है।
2. **लीज संबंधी विवरण –** संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क. 13965–66 दिनांक 04.12.2020 के अनुसार 10 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत है।
3. **जल आपूर्ति –** परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.70 किलो लीटर प्रतिदिन है (6.08 केएलडी हरित पट्टी विकास + 2.0 केएलडी धूल धमन हेतु + 0.62 केएलडी पेयजल हेतु), जिसकी पूर्ति नजदीकी ग्राम पंचायत से वाटर टैंकर के माध्यम से की जायेगी।
4. **वृक्षारोपण कार्य–**परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 6000 पौधे बेरियर जोन, परिवहन मार्ग, ग्राम पंचायत, स्कूल, गौशाला क्षेत्र इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
5. **जनसुनवाई –** उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 14.03.2022 को खनन क्षेत्र ग्राम गुनईखालसा, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन में अपर कलेक्टर, उज्जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 6000 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम गुनई खालसा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 20 बेंच व 05 कुर्सियां वितरित की जायें।
- ग्राम गुनई खालसा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में मुख्य चिकित्सक से परामर्श कर आवश्यक सामग्री/उपकरण वितरित किये जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक श्री सोनू कच्छवाहा आत्मज श्री मोतीलाल कच्छवाहा, निवासी–138, शंकरपुर, मक्सी रोड़, नियर एमपीएबी, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 21463 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 307, रकबा 4.00 हेक्टेयर, ग्राम गुनईखालसा, तहसील एवं जिला उज्जैन (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क. 13965–66 दिनांक 04.12.2020 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.12. 2030 तक मान्य रहेगी।

3. **Case No 9039/2022 :** Prior Environment Clearance for Development of Commercial Warehouse at Village - Pirkaradiya, Tehsil - Sawer, Dist. Indore, (MP)Total plot area 1,30,780.00 sq.m Proposed built-up area 56,156.00 sqm.by M/s Life Care Logistic Pvt. Ltd, 37 - 38,Lasudia Mori, Dewas Naka, A.B. Road, Dist. Indore, MP.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

यह वाणिज्यिक गोदाम के विकास एवं निर्माण के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी का प्रकरण है, प्रश्नाधीन प्रकरण पर्यावरण उल्लंघन का प्रकरण है जो कि "मानक संचालन प्रक्रिया" के अंतर्गत विचाराधीन है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ एवं मूल्यांकन समिति की बैठक 572 वीं दिनांक 19 मई 2022 की कार्यवाही विवरण में पेज नंबर 22 से 36 पर अंकित है, प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित की गयी है। उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक में विचारार्थ रखा गया। प्रकरण में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई :–

1. परियोजना अंर्तगत तीन गोदाम का निर्माण किया जाना है जिनका निर्मित क्षेत्रफल क्रमशः 20,520, 19,836 एवं 15,800 वर्ग मीटर प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने सूचित किया है की फरवरी २२ तक, एक पूर्णतः बन गया है, दूसरा आधा बनाया जा चुका है एवं तीसरा अभी बनाना शेष है।
2. परियोजना प्रस्तावक एवं सलाहकार की ई आई ए प्रतिवेदन में कार्य की भौतिक प्रगति 55 प्रतिशत बताई गई है। यह भी बताया गया है की इस परियोजना की लागत रुपये 126 करोड़ है, अब तक इसके निर्माण में रुपये 9.95 करोड़ का खर्च कर लिया गया है ।
3. प्राधिकरण ने इस प्रकरण के अंतर्गत कार्य स्थल की गूगल इमेज का अवलोकन करते हुए यह पाया कि पहला एवं दूसरा गोदाम पूर्णतः बना दिख रहा है इसकी छत जो कि जी आई सीट की है पूर्ण निर्मित दिख रही है। इस प्रकार पहला एवं दूसरा गोदाम पूर्ण निर्मित हो चुके हैं, जो कि लगभग 40,356 वर्ग मीटर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल के विरुद्ध लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होना प्रतीत होता है।
4. बिंदु क्रं. 2 के अनुसार इस निर्माण कार्य में अभी तक रुपये 9.95 करोड़ का खर्च कर लिया गया है, इस प्रकार कुल लागत के विरुद्ध केवल 7.9 प्रतिशत का व्यय ही बताया गया है। यह भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये निर्देशानुसार नहीं है। परियोजना की गूगल ईमेज से यह स्पष्ट होता है कि इस परियोजना पर दिसम्बर 2016 के पूर्व से कार्य आरंभ हो चुका था जबकि पहला गोदाम नवम्बर 2017 में पूर्ण हो चुका था जबकि दूसरा गोदाम नवम्बर 2021 में पूर्ण हो चुका है। भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत परियोजना पर आवेदन के समय तक व्यय राशि पर अर्थदण्ड का प्रावधान है अतएव परियोजना प्रस्तावक के 2015 से आवेदन की तिथि तक परियोजना के अंतर्गत किये गये समस्त व्ययों को इसमें शामिल करना होगा।
5. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, ने परियोजना प्रस्तावक के प्रस्तावानुसार अपनी सहमति दे दी है। यह चिंताजनक है इस विषय में समिति को संज्ञान लेना चाहिए था इस प्रकार की त्रुटि से जहां पर्यावरण उल्लंघन के प्रकरणों में अर्थदंड प्रभावित होगा वहीं मानक संचालन प्रक्रिया जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जारी किया गया है के मूल उद्देश्यों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः समिति इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्ण सावधानी रखते हुए विवेचना करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. इसी प्रकार "मानक संचालन प्रक्रिया" के तहत पर्यावरण नुकसान आकलन (डैमेज असिसमेन्ट) का भी ई आई ए में गंभीरता पूर्ण अध्ययन नहीं किया गया है इसका विस्तृत अध्ययन कर उपचारात्मक योजना (REMEDIATION PLAN) प्रस्तावित की जाना चाहिए, ताकि पूर्व में किये गए निर्माण से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि प्रकरण को पुनः विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को प्रेषित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

4. **Case No 9161/2022:** Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Khasra No. 758/6, Area 4050 sq. meter at Village - Ahar, Tehsil - Baldevgarh, Dist. Tikamgarh, (MP) by M/s Indo Tech Waste Solutions, H. No. 104, Brahmpuri Colony, Neelbad, Bethal Public School, Neelbad, Dist. Bhopal, MP.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित CBWTF के कार्य क्षेत्र में पूर्व से स्थित अन्य CBWTF का विवरण भी ईआईए में सम्मिलित करते हुए इस बात का भी अध्ययन करें की पूर्व स्थापित सी बी डब्लू टी एफ के कार्य क्षेत्र में कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है।

II. प्रस्तावित यूनिट के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार हेतु तथा एकत्रित करने के लिए प्रस्तावित जिले के परिवहन मार्ग को भी दर्शाएं।

III. ऐसी इकाइयों की स्थापना के लिए स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देशों को ईआईए रिपोर्ट में शामिल करें।

IV. ईटीपी से उत्सर्जित Sludge के निपटान की प्रक्रिया के साथ ही ईआईए रिपोर्ट में भौतिक रासायनिक मापदंडों सहित ईटीपी से उपचारित अपशिष्ट जल के निष्पादन (Disposal) के लिए निगरानी प्रावधानों का ईआईए में समावेश करें।

V. ईआईए रिपोर्ट में CBWTF के संचालन अवधि में परियोजना में प्रस्तावित ई टी पी के संचालन के समय में ऊर्जा खपत का आकलन किया जावे।

VI. ईआई प्रतिवेदन में प्रस्तावित कार्य स्थल का विस्तृत ले आउट प्लान संलग्न करें , जिसमें प्रावधानित सभी कार्य मुख्यतः हरित क्षेत्र विकास, लैण्ड स्केप प्लान एवं समस्त गतिविधियों के कार्य, स्थल स्पष्ट रूप से दर्शित करें।

VII. पर्यावरण प्रबंधन योजना में प्लांट के संचालित होने पर दुर्गन्ध का नियंत्रण एवं उपचार हेतु क्या प्रावधान किये जा रहें हैं का विस्तृत विवरण दें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

5. **प्रकरण कमांक 9160/2022 – परियोजना प्रस्तावक श्री ओंकार सिंह डामोर आत्मज श्री पुनियाजी डामोर, निवासी–लखपुरा, तहसील व जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15048 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 233, 235, 236, 238, रकबा 3.66 हेक्टेयर, ग्राम लखपुरा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत्।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 की अनुशंसा को आंशिक रूप से मान्य करते हुए विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट–1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

(i) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जलीय निकास से **न्यूनतम 200 मीटर तक**" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क से प्रस्तावित खदान तक न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थित 04 जीवित वृक्षों में से 01 वृक्ष को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण नियमानुसार वनमण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायें एवं प्रत्येक वृक्ष के एवज में 10 पौधो का रोपड़ कर उनका रखरखाव किया जाये।

(iv) वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत प्रतिबद्धता एवं पर्यावरण प्रबंधन स्कीम के परिपालन में तथा SEAC द्वारा अनुशंसित प्रजातियों के कम से कम तीन वर्ष पुराने कुल 4410 पौधों का प्रथम तीन वर्ष में रोपण किया जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम लखपुरा की आंगनबाडी केन्द्र में महिला बाल विकास के परामर्श से एक वर्ष तक पोषण आहार वितरित किया जाये।
- ग्राम लखपुरा के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक श्री ओंकार सिंह डामोर आत्मज श्री पुनियाजी डामोर, निवासी–लखपुरा, तहसील व जिला झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15048 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 233, 235, 236, 238, रकबा 3.66 हेक्टेयर, ग्राम लखपुरा, तहसील झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र) को उपरोक्त समस्त शर्तो पर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के पत्र क. 112 दिनांक 04.01.2021 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धातिंक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 03.01.2031 तक मान्य रहेगी।

6. प्रकरण क्र. 8913/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती भारती यादव पत्नि श्री सुखलाल यादव, निवासी– म.नं. 162, ग्राम मंगेली, पो. निगरी, तहसील व जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 9718 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं मुरूम 3523 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 24/2 पार्ट, ग्रम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 572 वी बैठक दिनांक 19.05.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(x) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(xi) The Methodologies of cluster environment managment plan should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan.

(xii) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(xiii) PP shall ensure to comply the condition mention in draft notication of MoEF& CC dated 18.02.2022 regarding use of DG Set and to control pollution and should be suitable incorporated in EIA studies.

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण कमांक 7341/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी. ग्रेनाईट लि., निवासी 614, अपेक्स माल, लाल कोठी, टांक रोड, जयपुर (राजस्थान), ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 28/1, रकबा 2.50 हेक्टेयर, ग्राम सिलपटपुरा, तहसील चांदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 713वी बैठक दिनांक 23.03.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 में उक्त प्रकरण को Delist किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से SEAC की 558वी बैठक दिनांक 04.03.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किये जाने का निर्णय लिया गया, तदोपरांत परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. **प्रकरण क्र. 8689/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मिथलेश सिंह पत्नि श्री नवल सिंह, निवासी– ग्राम प्रकाश बम्हौरी, तहसील गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 6.659 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 285, ग्राम – गुमानपुरा, तहसील–चंदला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

प्रकरण मे सिया की 698वी बैठक दिनांक 28.12.2021 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 534वी बैठक दिनांक 15.12.2021 में उक्त प्रकरण को डिलिस्ट किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 534वीं बैठक दिनांक 15.12.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा 518वी बैठक दिनांक 08.10.2021 में मांगी की जानकारी को परियोजना प्रस्तावक द्वारा काफी लम्बे समय से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रकरण को Delist किया जाये व परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. **प्रकरण कमांक 7675/2020 – परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेणी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउण्ड फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1–2, 147/1–3–4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEIAA की 721वी बैठक दिनांक 06.05.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान की गई है।

"परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेणी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1–2, 147/1–3–4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रकरण में *"परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.पी. त्रिवेणी सन्स, निवासी मेन रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान (ओपनकास्ट एवं अंडरग्राउण्ड फुली मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 62000 से 90868 टन प्रतिवर्ष के साथ स्क्रीनिंग, क्रशिंग, जिगिंग एवं वाशिंग, खसरा नं. 129, 143, 145, 147/2, 146/1–2, 147/1–3–4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405, 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, रकबा 43.086 हेक्टेयर, ग्राम रमरमा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.)"* **संशोधन किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।**

10. **प्रकरण कमांक 9158/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री दर्शन शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी–42, सीआरपीएफ रोड़ जिला नीमच (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 566, ग्राम डोडियामीना, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री अर्जुन भदौरिया आत्मज श्री अनुपम सिंह भदौरिया निवासी– जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 566, ग्राम डोडियामीना, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री दर्शन शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी–42, सीआरपीएफ रोड़ जिला नीमच (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :—

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री दर्शन शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी—42, सीआरपीएफ रोड़ जिला नीमच (म.प्र) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन भदौरिया आत्मज श्री अनुपम सिंह भदौरिया निवासी— जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर (म.प्र) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री अर्जुन भदौरिया आत्मज श्री अनुपम सिंह भदौरिया निवासी— जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ—पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद—विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2016/21 दिनांक 10.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2179 दिनांक 11.10.2021 (लीज अवधि 18.10.2026 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा—11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2016/21 दिनांक 10.05.2016 के माध्यम से श्री दर्शन शर्मा आत्मज श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी—42, सीआरपीएफ रोड़ जिला नीमच (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 566, ग्राम डोडियामीना, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अर्जुन भदौरिया आत्मज श्री अनुपम सिंह भदौरिया निवासी— जग्गाखेड़ी जिला मंदसौर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :—

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10.05.2016 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी—एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

11. **प्रकरण कमांक 9163/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) के पक्ष में नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स ए.जी.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3313/डीईआईएए/2017 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1936 दिनांक 16.11.2017 (लीज अवधि 17.03.2020 तक मान्य) की प्रति।

VII. संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम जारी लीज नवीनकरण आदेश क्र. 6370–71 दिनांक 19.05.2021 (लीज अवधि 17.03.2030 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 3313/डीईआईएए/2017 दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से श्री अशोक ठाकुर आत्मज श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, निवासी–2/16, झरनेश्वर काम्पलेक्स, जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22230 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 20/1, ग्राम लीलाखाड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ए.जी.एस. इन्फास्ट्रक्चर, प्लाट नं. 5, कृष्णा कॉलोनी, नियर कोपल कॉलेज, नीलबड़, जिला भोपाल (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 01.02.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

12. **प्रकरण कमांक 9164/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री अंजुम अली, निवासी– वार्ड नं. 05, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 284 (भाग), ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** श्री मुकुल चंद्राकर, निवासी– समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छग.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 284 (भाग), ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अंजुम अली, निवासी– वार्ड नं. 05, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री अंजुम अली, निवासी– वार्ड नं. 05, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मुकुल चंद्राकर, निवासी– समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छग.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री मुकुल चंद्राकर, निवासी– समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छग.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 24/डीईआईएए/2017 दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 508 दिनांक 15.03.2021 (लीज अवधि 09.08.2026 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 24/डीईआईएए/2017 दिनांक 18.04.2017 के माध्यम से श्री अंजुम अली, निवासी– वार्ड नं. 05, वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3200 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 284 (भाग), ग्राम कायदी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मुकुल चंद्राकर, निवासी– समता कॉलोनी, जिला रायपुर (छग.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18.04.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

13. **प्रकरण कमांक 9165/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णा ग्रुप, भागीदार श्री संजय तिवारी आत्मज श्री हरीबाबू तिवारी, निवासी– जैन मंदिर के सामने, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 31350 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 35, ग्राम यशवंत नगर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** मेसर्स कराड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भागीदार श्री अंकित कराड़ा आत्मज श्री अमरसिंह कराड़ा, निवासी– 30 सिल्वर आक्स कॉलोनी इन्दौर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 31350 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 35, ग्राम यशवंत नगर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णा ग्रुप, भागीदार श्री संजय तिवारी आत्मज श्री हरीबाबू तिवारी, निवासी– जैन मंदिर के सामने, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णा ग्रुप, भागीदार श्री संजय तिवारी आत्मज श्री हरीबाबू तिवारी, निवासी– जैन मंदिर के सामने, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कराड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भागीदार श्री अंकित कराड़ा आत्मज श्री अमरसिंह कराड़ा, निवासी– 30 सिल्वर आक्स कॉलोनी इन्दौर (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स कराड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भागीदार श्री अंकित कराड़ा आत्मज श्री अमरसिंह कराड़ा, निवासी– 30 सिल्वर आक्स कॉलोनी इन्दौर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2017/1184 दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1718 दिनांक 09.08.2018 (लीज अवधि 27.08.2018 तक मान्य) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम जारी लीज नवीनकरण आदेश क्र. 2241 दिनांक 11.10.2017 (लीज अवधि 27.08.2028 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. डीईआईएए/2017/1184 दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से श्री कृष्णा ग्रुप, भागीदार श्री संजय तिवारी आत्मज श्री हरीबाबू तिवारी, निवासी– जैन मंदिर के सामने, सुभाष कॉलोनी, जिला गुना (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 31350 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 35, ग्राम यशवंत नगर, तहसील तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कराड़ा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, भागीदार श्री अंकित कराड़ा आत्मज श्री अमरसिंह कराड़ा, निवासी– 30 सिल्वर आक्स कॉलोनी इन्दौर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31.05.2016 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

14. **प्रकरण कमांक 2356/2015** – परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पराज सिंह आत्मज श्री शंकर प्रताप सिंह राठौर, निवासी– साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 2055, ग्राम बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** श्रीमती ममता राठौर पत्नि स्व. श्री पुष्पराज सिंह राठौर, निवासी–साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 2055, ग्राम बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पराज सिंह आत्मज श्री शंकर प्रताप सिंह राठौर, निवासी– साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री पुष्पराज सिंह आत्मज श्री शंकर प्रताप सिंह राठौर, निवासी– साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05.05.2021 प्रस्तुत किया गया है।

II. श्रीमती ममता राठौर पत्नि स्व. श्री पुष्पराज सिंह राठौर, निवासी–साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1766/एसईआईएए/2015 दिनांक 08.06.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 2122 दिनांक 06.10.2021 (लीज अवधि 31.08.2024 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः एसईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1766/एसईआईएए/2015 दिनांक 08.06.2015 के माध्यम से श्री पुष्पराज सिंह आत्मज श्री शंकर प्रताप सिंह राठौर, निवासी– साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8550 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 2055, ग्राम बसई, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक श्रीमती ममता राठौर पत्नि स्व. श्री पुष्पराज सिंह राठौर, निवासी–साखतली, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 06.06.2015 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

15. **प्रकरण कमांक 9175/2022** – परियोजना प्रस्तावक ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई–13, गार्डन बिला कचनार सिटी, विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.170 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 303440 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1361/1/2, ग्राम दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** मेसर्स श्रिया ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्री सोमेश भारद्वाज, निवासी– गुलर नाका, बांदा जिला बांदा (उ.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 4.170 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 303440 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1361/1/2, ग्राम दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई–13, गार्डन बिला कचनार सिटी, विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई–13, गार्डन बिला कचनार सिटी, विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रिया ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्री सोमेश भारद्वाज, निवासी– गुलर नाका, बांदा जिला बांदा (उ.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स श्रिया ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्री सोमेश भारद्वाज, निवासी– गुलर नाका, बांदा जिला बांदा (उ.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 527/डीईआईएए/2017 दिनांक 04. 03.2017 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 6503 दिनांक 30.11.2021 (लीज अवधि 20.04.2027 तक मान्य) की प्रति।

नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा–11) के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अतः डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 527/डीईआईएए/2017 दिनांक 04.03.2017 के माध्यम से ट्रिनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर, ई–13, गार्डन बिला कचनार सिटी, विजय नगर, जिला जबलपुर (म.प्र) के नाम पर पत्थर खदान, एरिया 4.170 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 303440 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1361/1/2, ग्राम दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) का हस्तांतरण, नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रिया ग्रेनाईट, प्रोपराईटर श्री सोमेश भारद्वाज, निवासी– गुलर नाका, बांदा जिला बांदा (उ.प्र.) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों पर किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04.03.2017 में निहित समस्त शर्ते एवं वैधता यथावत रहेंगी।

II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

16. **प्रकरण कमांक 9176/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री राजकुमार तोमर आत्मज श्री लाखनसिंह निवासी– नवोदय कॉलोनी, गोपालपुरा, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1604/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 982 दिनांक 20.12.2019 (लीज अवधि 18.02.2028 तक मान्य) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 516 दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से बताया गया है कि उक्त लीज क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20. 12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

17. **प्रकरण कमांक 9181/2022** – परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण** श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, एरिया 1.60 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10476 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 172, ग्राम सरवनीखुर्द, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.), को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सत्येन्द्र सिंह परमार आत्मज स्व. श्री धर्मसिंह परमार, निवासी–55/98, रजतपथ मानसरोवर जयपुर (राज.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री मनोहर कुमावत आत्मज श्री गिरधारी लाल कुमावत, निवासी–120, करमदी रोड़, तहसील व जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. 1606/डिया–डेक/2018–19 दिनांक 29.06.2018 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 982 दिनांक 20.12.2019 (लीज अवधि 18.02.2028 तक मान्य) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा पत्र क्र. 518 दिनांक 25.03.2022 के माध्यम से बताया गया है कि उक्त लीज क्षेत्र में कोई उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 20.12.2019 से 02 वर्ष विलम्ब से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन क्यों किया गया, इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

18. **प्रकरण क्र. 9128/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स सिद्धीदात्री मिनरल्स प्रा.लि., शास्त्रीनगर, तहसील गोपद बनास, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा ग्रेनाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 996 घनमीटर प्रतिवर्ष एवं सेलेबल वेस्ट 6972 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3. 260 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 470, 471/1, 471/2, 471/3, 471/4, 471/5, 471/1283, 472/1, 473/2, 472/3, 472/4, 472/5, 473/1/1, 473/1/2, 473/2, 491, 492, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 499/1, 499/2, 500/1, 500/2, 500/1/1, ग्राम नेबूहा, तहसील मझौली, जिला सीधी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

SEIAA की 724वी बैठक दिनांक 17.05.2022 के निर्णय अनुसार उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा प्रदान की गई है।

परियोजना प्रस्तावक ई–मेल दिनांक 23.05.2022 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त क्र. I में हाईटेशन लाईन से 200 मीटर के स्थान पर 50 मीटर किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत विचार चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को उक्त शर्त विलोपित के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु आगामी SEIAA बैठक में बुलाया जाये।

Compliance of NGT order dated 22.02.2022 Para-O, Point No. 05 related to sand mining cases :-

उक्त आदेश के परिपालन में कुल 08 प्रकरणों में से 05 प्रकरणों में SEIAA की पूर्व बैठकों में निर्णय लिया गया, जिनमें से 01 प्रकरण (प्रकरण क्र. 3441/2015) में SEIAA की 686वीं बैठक में संशोधन जारी हुआ एवं अन्य 04 प्रकरणों क्रमशः 7246/20, 7251/20, 4194/15, एवं 2881/20 को SEIAA की 705वी बैठक में बंद करने हेतु निर्णय लिया गया। शेष 03 प्रकरणों का निर्णय निम्नानुसार है :–

19. **प्रकरण क्र. 6987/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री विवेक पटेल, पटेल वार्ड, बखर कण्डेली, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता ग्रेनाईट 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.0 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1, 20, 220, ग्राम बिशनपुर, तहसील कुरवई, जिला विदिशा (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक को डिया द्वारा पत्र क्र. 1353 दिनांक 17.05.2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में रकबा 5.00 हे. खसरा क्र. 1, 29, 239 हेतु प्रदान की गई है। तदोंउपरांत प्रकरण में SEIAA की 606वी बैठक में SEIAA द्वारा रकबा 5.00 हे. खसरा क्र. 1, 29, 239 उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA पत्र क. 5307 दिनांक 23.03.2020 द्वारा हस्तांतिरित की गई। दस्तावेज़ों के परीक्षण उपरांत खसरा, में भिन्नता पाई गई,।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण पत्र क. 5307 दिनांक 23.03.2020 में टंकन त्रुटिवस खसरा क्र. 129, 239 के स्थान पर 1, 29, 239 हो गया था। अतः 1, 29, 239 के स्थान पर 129, 239 पढ़ा जाये।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

20. **प्रकरण क्र. 7060/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेश पाठक, वार्ड नं. 15, बैहर रोड़ जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 51300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.50 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 164, ग्राम केसा, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

आदेशानुसार प्रकरण में लीज़ संबंधी दस्तावेज़ों में रकबा 4.0 हे. है किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा किये गये सभी दस्तावेज़ों, फार्म–2, माईन प्लान आदि में रकबा 4.50 हे. अंकित है, जिस कारण सिया द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति भी 4.50 हे. की जारी की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क. 649 दिनांक 06.06.2020 में टंकन त्रुटिवस खसरा क्र. 4.0 हेक्टेयर के स्थान पर 4.50 हेक्टेयर हो गया था। अतः 4.50 हेक्टेयर के स्थान पर 4.00 हेक्टेयर पढ़ा जाये।

21. **प्रकरण क्र. 6919/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.पी. सिंह भदौरिया कॉन्ट्रेक्टर, ई–46, ए–बलवंत नगर, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 765, 2222, ग्राम रूहेरा, तहसील सेवढ़ा, जिला दतिया (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक को डिया दतिया द्वारा पत्र क्र. 167–11 दिनांक 16.05.2018 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रदान की गई है। लेख है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दोनो खसरा क. 765 व 2222 हेतु उत्पादन क्षमता 27000 घनमीटर प्रतिवर्ष की पृथक पृथक (दो अनुमोदित खनन योजना अनुसार) प्रस्तुत किया गया, जिसके कारण पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु दी गई। तद्नुसार सिया द्वारा उक्त प्रकरण में उत्पादन क्षमता 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष पर ही पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित कर दी गई ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में जारी हस्तांतरण पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क. 5024 दिनांक 09.03.2020 में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परिशिष्ट–1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारो ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से **CSR/CER** एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वियन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :–

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–3

गौण खनिज (खोदू भरू रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
5. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
9. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

15. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

16. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

परिशिष्ट–4

मुख्य खनिज श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर) की स्थापना की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में अपशिष्ठ दृव्य (Waste Water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के समीपस्थ (1 किलोमीटर की परिधि में) क्षेत्र में स्थित ट्यूबवैल, बोरवैल, कुओं/बावड़ीयों के जल की गुणवत्ता का प्रत्येक छः माह में आकलन कर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन/पहुंच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
19. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
20. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
22. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

25. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

26. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परिशिष्ट–5

1. The fresh water supply arrangement should be met through Municipal Corporation Gwalior and there should no extraction of ground water.
2. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of waste water.
3. Rain water should be harvested in the mined out area present at the project site.The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network
4. In the green area (approx. 36.00 ha) walking pathway and kids play area shall be developed as Eco park with common facilities like toilets etc.
5. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
6. Individual parking for indivisual plots should be provided.Separate parking provision should be made for School, Commercial area & health centre.
7. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.

8. For firefighting:-

a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement shoud be made avilable onthe project site as per NBC 2016.
b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises

9. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.

10. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष